न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 67/2020
GCMS NO. : 2020/00095

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. सुवानाथ पुत्र गुलाबनाथ
2. पदमनाथ पुत्र गुलाबनाथ
जातियान– नाथ निवासी बांकास
तहसील जैतारण जिला पाली।

1. काननाथ पत्र लाडूनाथ जाति नाथ
निवासी बांकास तहसील जैतारण
जिला पाली।
2. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.17/06/2020

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/03/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 8–06 बीघा, खसरा नम्बर 55 रकबा 08–02 बीघा, खसरा नम्बर 54 रकबा 09–11 बीघा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 25–19 बीघा राजस्व मौजा बांकास पटवार हल्का फालका तहसील जैतारण में आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि में से खसरा नम्बर 54 व 55 की भूमि में आवागमन हेतु रास्ते बाबत् विवाद है। उपरोक्त वर्णित सायलान की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए राजस्व मौजा बांकास में पटवार हल्का फालका में स्थित खसरा नम्बर 47 रकबा 81–15 बीघा किस्म गै.मु. गौचर की भूमि से होते हुए सायलान अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 48 में निर्विवाद रूप से अपने पूर्वजो के समय से आवागमन करते रहे है। सायलान अपनी खातेदारी भूमि 48 से आगे खसरा नम्बर 55 व 54 की भूमि में आवागमन के लिए गैरसायल के खसरा नम्बर 49 रकबा 11–10 बीघा की भूमि के पूर्वी दक्षिणी तरफ स्थित कोने से 25×25 वर्गफुट भूमि को रास्ते के रूप में काम में लेते हुए अपने खसरा नम्बरान की भूमि में अपने पूर्वजो के समय से आवागमन करते रहे है। यानि गैरसायल की खसरा नम्बर 49 के पूर्वी दक्षिणी तरफ स्थित 25×25 वर्गफुट की भूमि जिसका नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है उक्त नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शित भूमि से सायलान् अपने खसरा नम्बर 48 की भूमि से आगे खसरा नम्बर 55 की भूमि में अपने [illegible] से यानि सेटलमेंट के समय से पूर्व से ही आवागमन करते रहे है। इस प्रकार से नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 49 का मार्क ए बी सी डी [illegible] विवादित रास्ते की जगह है। इस रास्ते की भूमि से होते हुए प्रार्थीगण आवागमन करते रहे है। [illegible] रास्ता मौके पर खुला चला आ रहा है। सायलान् इस रास्ते का बतौर आवागमन के रूप में एज ऑफ राईट सुखाचार के रूप में काम लेते आ रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शाये गये रास्ते वाले स्थल से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:13:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी से दर्शाये गये रास्ते वाले स्थल से होकर सायलान सेटलमेंट के समय से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है। उक्त रास्ता कदीमी है। लेकिन उक्त सेटलमेंट के नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता की भूमि रास्ते के रूप में तरमीम नही हो पायी थी। तथा उक्त रास्ते की भूमि गैरसायल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई थी। किन्तु मौके पर रास्ता आज ीदिन तक वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की वजह से गैरसायल बदनियतीपूर्वक उक्त रास्ता बंद करने को आमादा है। तथा इसी नियत से दिनांक 27.05.2020 को गैरसायल के पारिवारिक सदस्यो ने जेसीबी मशीन लगाकर सायलान् का आवागमन बन्द करने की मंशा से इस मार्क ए बी सी डी स्थल पर लगभग 06-07 फुट गहरा गड्डा खुदवा दिया जिसके बाबत् सायलान् को मालुम पड़ने पर उन्होने गैरसायल व उसके पारिवारिक सदस्यो को समझाईश भी कि लेकिन गैरसायल नही मान रहा है। इस प्रकार से यदि गैरसायल सायलान् के इस एक मात्र रास्ते का बंद कर देता है तो सायलान् हमेशा हमेशा के लिए अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन नही कर पायेगे। जिससे सायलान को भारी परेशानी होगी व नुक्सान होगा। इस बाबत् सायलान् विधिक प्रावधानो अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत् भी तैयार है। व उसके बावजूद भी गैरसायल नही मान रहा है। सायलान का इस नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए बी सी डी रास्ता ही एकमात्र कदीमी रास्ता है। इस प्रकार से इस नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार सायलान अपने इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता सायलान का कदीमी रास्ता है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान द्वारा तय किया जावे। उक्त मुआवजा राशि सायलान् देने को भी तैयार है। या न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए बी सी डी को खसरा नम्बर 49 की भूमि से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है। एवं उक्त रास्ते की भूमि को भी सायलान रास्ते के रूप तरमीम करवाने के अधिकारी है। सायलान को उक्त रास्ते की इजमेंट ऑफ नेसेसिटी है। इसलिए भी सायलान रास्ता कायम करवाने के अधिकारी है। सायलान का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है, जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थीगण [illegible] जाहिर किया कि सरहद मौजा बांकास पटवार हल्का फालका में साय[illegible] खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 48, 54, 55 की स्थित है [illegible] नम्बर 54, 55 की भूमि/खेतो में आने जाने हेतू रास्ता का कोई वि[illegible] नही है, बल्कि सायलान व गैरसायलान के परिवार के बीच खेतो के नाप चौप को लेकर पिछले 40 वर्षो से रंजिश चली आ रही है। वर्तमान में कोरोना वायरस की बीमारी होने से उसका फायदा उठाकर सोची समझी चाल से दिनांक 08.05.2020 समय सुबह 08 बजे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायलान मय परिवार के लोग ट्रैक्टर लेकर आये व गैरसायल की खेत की पूर्व दक्षिणी माठ/खन्दक पर लगी तारबन्दी को खुर्द बुर्द कर उखाड़ दिया, नुकसान कर नये सिरे से रास्ता कायम करने की चेष्ठा की तब गैरसायल के पुत्रो को जानकारी होने पर मौके पर गये मना करने पर नही माने तब उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2020 को पुलिस थाना आ.कालू में श्रवण नाथ सायलान मय परिवार के विरुद्ध पेश की जिसके सी आर नम्बर 56/2020 अन्तर्गत धारा 143, 149, 447, 427 आईपीसी में प्रकरण दर्ज किया व सायलान के विरुद्ध न्यायालय में चार्ज शीट पेश होगी व इस प्रकार सायलान् ने नये सिरे से रास्ता कायम करने की नियत से दिनांक 18.06.2020 को न्यायालय में रास्ता कायम करावने बाबत् झूठे कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया। सायलान अपने खसरा नम्बर 48 के खेत में उत्तर की ओर स्थित खसरा नम्बर 47 गै.मु. गौचर भूमि में होते हुए खसरा नम्बर 51 के खेत में से होते हुए अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 54 व 55 में खड़ाई बुवाई कटाई के लिए स्वयं व साधन आते जाते है। सायलान खसरा नम्बर 48 के खेत से खसरा नम्बर 54 व 55 के खेत में आने जाने खड़ाई बुवाई कटाई हेतु गैरसायल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त भूमि के पूर्वी दक्षिणी कोने से 25×25 फिट चौड़ाई लम्बाई का मौके पर कोई रास्ता नही है न ही था। सायलान द्वारा अपने खेतो में खसरा नम्बर 54 व 55 के खेत में आने जाने हेतू अपने नजरी नक्शे में जो रास्ता ए बी सी डी से स्वयं पिता परपिता के सेटलमेंट के समय से मार्क ए बी सी डी रास्ता बताया है जो कतई गलत व सायलान द्वारा अपने नजरी नक्शे में बताया रास्ता जबरदस्ती धनबल व लाठी के बल पर नये सिरे से कायम करना चाहते है। तथा दिनांक 08.05.2020 को नया रास्ता कायम करने की कोशिश की परन्तु मौके पर तुरन्त पुलिस आकर सायलान द्वारा नया रास्ता कायम किया जा रहा था। जिसे रोका गया सायलान को गैरसायल की खातेदारी भूमि में रास्ता के सुखाधिकार के रूप में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है सेटलमेंट के पूर्व से नजरी नक्शे में बताये रास्ते को आने जाने में काम में लेते है तो सायलान द्वारा ट्रेस नक्शे में रास्ता दर्ज होता जो नही है। गैरसायल की खातेदारी की खसरा नम्बर 49 के पूर्वी तरफ वक्त सेटलमेंट से 05 फीट ऊंचाई 800 फीट लम्बाई व 02 फीट चौड़ाई में खन्दक लगी हुई है। जिसे गैरसायल ने अपने नजरी नक्शे मं लाल रंग से दर्शाया वहां से सायलान अपने खेतो में खसरा नम्बर 54 व 55 की भूमि में आने जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। क्योकि गैरसायल अपने खसरा नम्बर 54 व 55 के खेतो में खसरा नम्बर 47 गै.मु. गौचर से होते हुए खसरा नम्बर 51 के खातेदार रामनाथ, हाथीनाथ, देवनाथ, जालूनाथ, चम्पानाथ व छोटूनाथ के खेत में होकर पीढियो से अर्थात वक्त सेटलमेंट से स्वयं व साधन लेकर खसरा नम्बर 54 व 55 के खेतो में खड़ाई बुवाई व कटाई करते है। तथा खसरा नम्बर 51 से होकर दक्षिणी दिशा में स्थित खेतों में अन्य लोग भी अपने खेतो की खड़ाई बुवाई व कटाई के लिए आते जाते है। जिसे गैरसायल अपने नजरी नक्शे में ए बी सी डी ई एफ हरे रंग से दर्शाया है। इसलिए अब सायलान को नये सिरे से रास्ता गैरसायल के खसरा नम्बर 49 में से होकर कायम करने का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। सायलान अपने खेत खसरा नम्बर 54 व 55 में खसरा नम्बर 51 की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खेत में से आते जाते है। इस बाबत् खसरा नम्बर 51 के खातेदार चम्पानाथ व रामनाथ ने समर्थन किया है। व इस हेतु गैरसायल के पक्ष में शपथ पत्र भी पेश है। गैरसायल के खसरा नम्बर 49 के खेत की पूर्वी माठ खन्दक पर लगी तारबन्दी जो पूर्व में थी वो आज भी कायम है व मौके पर सायलान द्वारा 06-07 फीट गड्ढा बताया जो गलत है। जबकि मौके पर गड्ढा 15×15 फिट लम्बाई चौड़ाई का आज से 10 वर्षो पूर्व बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए खोदा हुआ है। जिसमें इकट्ठा हुआ पानी खेत की पिलाई हेतू काम में लेते है। सायलान द्वारा गैरसायल के खेत की पूर्वी खन्दक खुर्द बुर्द की, तारबन्दी तोड़ी, नुकसान किया जिस बाबत् सायलान व परिवार के लोगो को गांव के लोगो ने भी समझाईश की सायलान ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 54 व 55 में वर्तमान में दिनांक 26.05.2020 को मुंग व ज्वार की फसल बोई तो फिर सायलान् द्वारा रास्ता बन्द होना नुकसान होना आदि के प्रश्न ही पैदा नही होते है। सायलान के पास पीढियो से अपने खेत खसरा नम्बर 54 व 55 की भूमि में बुवाई हेतु नजरी नक्शे में बताये हरे रंग का रास्ता है तो गैरसायल की भूमि खसरा नम्बर 49 से होकर नया रास्ता कायम करने का कतई वैधानिक अधिकार नही मिलते है न ही अनुतोष पाने के अधिकारी है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./21/472 दिनांक 12.02.2021 तथा भू.अ.निरीक्षक आ.कालू की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2021 मय नजरी नक्शा पेश किया जो सा0मि0 है। भु.अ.नि. आ.कालू द्वारा प्रस्तुत मौका एवं तथ्यात्मक मय मौका फर्द जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा खेत में जाने हेतु वर्तमान में रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यंतिक आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ते के लिए तीन विकल्प दर्शाये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है- प्रथम विकल्प का रास्ता- खसरा नम्बर 48 में से 12 बीस्वा, खसरा नम्बर 49 में से 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 में से 3 बिस्वा कुल 16 बीस्वा है तथा दुसरा विकल्प का रास्ता- खसरा नम्बर 56 में से 12 बीस्वा, खसरा नम्बर 47 में से 3 बिस्वा यानि कुल 15 बिस्वा है। तीसरा विकल्प का रास्ता- ख.नं. 53 में से 1 बिस्वा, ख.नं. 51 में से 15 बिस्वा, ख.नं. 44 में से 15 बिस्वा, ख.नं. 47 में से 01-19 बीघा यानि कुल 03-09 बीघा है। जो मौका रिपोर्ट में अलग-अलग स्याही से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 44 व 47 की भूमि गै.मु. गौचर की है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया लिखित व मौखिक बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया।

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बांकास तहसील जैतारण में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 8-06 बीघा, खसरा नम्बर 55 रकबा 08-02 बीघा, खसरा नम्बर 54 रकबा 09-11 बीघा, कुल खसरा 3 कुल रकबा 25-19 बीघा में से खसरा संख्या 55 व 54 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

भूमि में आवागमन हेतू रास्ते बाबत् विवाद है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 47 की गौचर भूमि में से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 48 में आवागमन करते रहे है। 48 से आगे खसरा संख्या 55 व 54 की भूमि में आवागमन के लिए गैरसायल के खसरा संख्या 49 के पूर्वी दक्षिणी कोने से रास्ते के रूप में काम में लेते आये है। अतः खसरा संख्या 49 की भूमि में से नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए बी सी डी भूमि जो 25×25 वर्ग फीट है, को रास्ता दर्ज किया जावे।

2. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी के बीच खसरा संख्या 54 व 55 की भूमि में आने जाने हेतू रास्ते का कोई विवाद नही है बल्कि दोनो परिवारो के मध्य खेतो के नाप चौप को लेकर रंजिश चली आ रही है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 48 के उत्तर में स्थित खसरा संख्या 47 के गौचर भूमि तथा पूर्व की ओर स्थित रास्ते से होकर गौचर भूमि में से होते हुए खसरा संख्या 51 के खेत से होकर अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 54 व 55 में आते जाते रहे है। अप्रार्थी के खेत के दक्षिणी पूर्वी कोने में कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक आ.कालू से मौका एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक आ.कालू द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 26.07.2021 के अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ते से न्यूनतम एवं निकटतम दूरी के विकल्प के रूप में मौका फर्द में लाल स्याही से ई से एफ के रूप में अंकित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा संख्या 56 व 47 में स्थित हैं, जिसकी लम्बाई 73 गट्टा गुणा 4 गट्टा है तथा कुल रकबा 15 बिस्वा बनता है। जबकि खसरा संख्या 47, 48 व 49 में से प्रस्तावित रास्ता का कुल रकबा 16 बिस्वा है तथा खसरा संख्या 53, 51, 44 व 47 में से प्रस्तावित रास्ता का कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा बनता है। अतः खसरा संख्या 47 व 56 में से प्रस्तावित विकल्प न्यूनतम एवं निकटतम दूरी एवं रकबे का है।

4. उपलब्ध भू अभिलेख एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 56 के खातेदारान् को पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया गया है अतः ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध किसी प्रकार आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही हो सकता अतः खसरा संख्या 56 में से प्रस्तावित विकल्प को रास्ते के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता साथ ही अन्य प्रस्तावित विकल्प न्यूनतम एवं निकटतम दूरी एवं रकबे के विकल्प के रूप में नही होने के कारण अन्य किसी भी विकल्प को रास्ते के रूप में स्वीकार नही किया [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में केवल खसरा संख्या 49 [illegible] कोने पर 25×25 वर्गफुट की भूमि को रास्ता दर्ज किए [illegible] की है, जो कि कानूनन स्वीकार योग्य नही है। क्योंकि धारा 251 ए के अन्तर्गत केवल निकटतम अभिलिखित रास्ते से काश्तकार की जोत तक पहुंच के लिए न्यूनतम एवं निकटतम दूरी एवं रकबे के प्रस्तावित रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हतु आदेश किया जा सकता है। लेकिन किसी भी विशिष्ट खसरे के किसी विशिष्ट भाग जो कि किसी अभिलेखित रास्ते से शुरू नही हो को सार्वजनिक रास्ता दर्ज नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी की यह मांग भी स्वीकार योग्य नही है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विचार अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नही होता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या 56 के खातेदारान् को पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया है तथा खसरा संख्या 49 की भूमि के पूर्वी दक्षिणी कोने पर 25×25 वर्गफुट की भूमि को रास्ता दर्ज किए जाने की मांग विधिसंगत नही है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नही होनें तथा सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested